न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज म्युटेशन अपील सं.– 81/2016 हनीफ स्या V/S इंसाफ अली	
19.10.20	वकुलाय उप०। गत आदेशिका दिनांक 5.3.2020 अनुसार वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 15 से 21 के सम्मन पेश नहीं किये है, जो शीघ्र पेश करने की हिदायत की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं. 15 से 21 के सही पते के वकील अपीलान्ट द्वारा सम्मन पेश करने पर जरिये रजि० एडी से तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.11.2020 को पेश हो। [signature] कलक्टर, नागौर	
19/11/20	वकुलाय उप०। श्रीमान P.O. साहब राजकीय दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 14/12/2020 पर पेश हो। [signature]	
25-11-20	पत्रावली पेश हुई। डॉ0 श्री वेकटेश्वरन अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अ0शा0 पत्र कमांक–राम/न्याय/स्था/प–32/07/2020/11826 दिनांक 12.11.2020 से राजस्व मण्डल अजमे को नागौर जिले के राजस्व न्यायालयों से तलबीदा रिकार्ड की जीसीएमएस पोर्टल से निकाली गई सूची प्रेषित की, जिसके संबंध में मूल पत्र पत्रावली संख्या–एफ–40( )कोर्ट/रा.म.अ. व अन्य/रिकार्ड/सूचना/ 2020 पर Putup कर सभी राजस्व न्यायालयों को अ0शा0 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु लिखा जा चुका है। उक्त सूची में न्यायालय हाजा के 36 प्रकरण की पत्रावलियां राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जानी शेष बताई गई है। उक्त 36 प्रकरणों के संबंध में प्रकरणों के विवरण की सूची जीसीएमएस पोर्टल से न्यायालय हाजा द्वारा निकाली गई, जिसमें 37 प्रकरण बताये गये है एवं उक्त सूची के कम संख्या 36 के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के विचाराधीन निगरानी संख्या–2134/2020 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली तारीख पेशी 28.12.2020 प्रकरण के संबंध में यह पत्रावली चाही गई है। यद्यपि इस पत्रावली की तलबी हेतु राजस्व मण्डल अजमेर से पूर्व में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, चूंकि उक्त अ0शा0 पत्र दिनांक 12.11.2020 के अनुसार यह पत्रावली मा0 राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जानी है। अतः यह मूल पत्रावली निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावे एवं पृथक से यादास्त पत्रावली खोली जाकर यादास्त पत्रावली मुकर्ररा दिनांक 14.12.2020 को पेश हो। [signature] (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर	
02/09/21	अपीलान्ट उप0 वकुलाय उपस्थित। न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या 81/[illegible] एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या–67/2016 उनवान हनीफ स्या [illegible] इंसाफ अली प्रकरणों में मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति [illegible] आदि के संबंध में पृथक से लिखी गई [illegible] दिनांक 06.07.2021 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित मूल पत्र कमांक–कोर्ट/2021/715 दिनांक 07.07.2021 हस्तगत अपील पत्रावली में शा0मि0 हो। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक– 3976 दिनांक 22.06.2021 के साथ न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या–81/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा	(अपीलान्ट मो० हनीफ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 13:35:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
म्यूटेशन अपील सं.- 81/2016
हनीफ स्या v/s इंसाफ अली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02/09/21 (नागौर)	पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 की प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय हाजा की स्थगन प्रा0पत्र संख्या 67/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली की मूल पत्रावली प्राप्त हुई है। इसके पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक–6419 दिनांक 12.08.2021 के साथ न्यायालय हाजा के स्थगन प्रा0पत्र संख्या–67/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2021 की प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय हाजा की हस्तगत राजस्व अपील संख्या 81/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली की मूल पत्रावली प्राप्त हुई है। अतः हस्तगत अपील के संबंध में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 की प्रमाणित प्रति तथा राजस्व मण्डल अजमेर के उपर्युक्तानुसार मूल पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं मूल पत्र दिनांक 12.08.2021 इस राजस्व अपील पत्रावली में शा0मि0 है। हस्तगत प्रकरण में दो यादास्त पत्रावलियां इस पत्रावली के साथ नत्थी हो। अपीलान्ट ने निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं **Not Press** किया है। अतः अपीलान्ट हस्तगत अपील में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता एवं अपीलान्ट द्वारा **Not Press** करने के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाया जाकर इस आदेशिका की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:35:57 IST
Reason: SelfAttested